(107)

मु.नं.–62/2020 GCMS ID-2020/00117 ता.रजु–26.10.2020

न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रमेश चंद गुप्ता पुत्र स्व. रामजीलाल गुप्ता निवासी मकान नं. 85/360, प्रताप नगर, सैक्टर–8, सांगानेर, जयपुर (राज0)
– अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नादौती – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–23.12.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 व नगर निकाय आम चुनाव 2020 में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलाण्ट को दिनांक 09.11.2020, 18.11.2020, 24.11.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 15.12.2020, 22.12.2020 व 23.12.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर मु.नं. 31/2018 प्रकरण उनवानी रमेश चंद गुप्ता बनाम बृजमोहन (उगन्ती) वगै. से संबंधित दिनांक 12.12.2018 व 12.04.2019 को आदेशिका लिखने वाले रीडर का नाम, उपस्थिति पंजिका, उक्त दिनांकों को उपस्थित पीठासीन अधिकारी का नाम, दिनांक 12.12.2018 व 26.12.2018 के तारीख पेशी रजिस्टर की प्रति, दिनांक 10.07.2020 की आदेशिका की प्रति आदि कुल चार बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक–आरटीआई/2020/4379 दिनांक 20.11.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक–आरटीआई/2020/4378 दिनांक 19.11.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। पत्रांक– आरटीआई/2020/4378 दिनांक 19.11.2020 पर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त कर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसकी प्रति इस न्यायालय में पेश की गई है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी के स्वयं के प्राप्ति हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दिये जाने, प्रत्यर्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद सुनवाई हेतु इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील, अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट, खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली